

## जरुरि बिज्ञप्ति

इडजि रेगुलेशनस - २०२३ एर ३.१.१ नियम अनुयायी— कोनो छात्र वा छात्री यदि ७ठे (6th) सेमेस्टरे पड़ा चलाकालीन এই कोर्सটি छेड़े दिते चान (Exit करते चान), तबे ताँर जन्य निचेर नियमटि माना बाध्यतामूलक:

- **शर्त:** आगेर सबकटि सेमेस्टरे पास करे থাকते हबे (कोनो ब्याकलग वा क्यजुयाल थाका चलबे ना)।
- **करणीय:** ७ठे सेमेस्टरेर फाईनाल परीक्षा शुरू हओयार अन्तत १ सप्ताह आगे परीक्षा नियामकेर (Controller of Examinations) अफिसे नियमानुयायी लिखितभाबे जानाते हबे।

**मने राखबेन:** परीक्षा शुरूर अन्तत १ सप्ताह आगे ना जानाले, परे किन्तु आर कोनोभाबेई कोर्स थेके बेर हओयार (Exit करार) अनुमति देओया हबे ना।

सबाइके এই नियमटि मने चलार जन्य अनुरोध करा हछे।

स्वाम्करित/-

परीक्षा नियामक (Controller of Examinations)

## आवश्यक सूचना

यूजी रेगुलेशनस - २०२३ (U.G. Regulations – 2023) के नियम ३.१.१ के अनुसार— यदि कोई छात्र या छात्रा छठे (6th) सेमेस्टर में पढ़ाई के दौरान इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं (Exit करना चाहते हैं), तो उनके लिए निम्नलिखित नियम का पालन करना अनिवार्य है:

- **शर्त:** पिछले सभी सेमेस्टरों में पास होना जरूरी है (यानी कोई भी पिछला पेपर बाकी या 'Backlog' नहीं होना चाहिए)।
- **क्या करना होगा:** छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा शुरू होने से कम से कम १ सप्ताह पहले परीक्षा नियंत्रक नियंत्रक (Controller of Examinations) के कार्यालय में उचित माध्यम से लिखित रूप में सूचित करना होगा।

**ध्यान रखें:** यदि परीक्षा शुरू होने से कम से कम १ सप्ताह पहले सूचित नहीं किया गया, तो बाद में किसी भी परिस्थिति परिस्थिति में कोर्स छोड़ने (Exit करने) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी से अनुरोध है कि इस नियम को ध्यान में रखें और इसी के अनुसार कार्य करें।

हस्ताक्षरित/-

परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations)